<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 08 / 2024 (राजसमन्द आर्डर)</u>

कालु पिता गोमा जी, जाति भील, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 15.09.2023, प्र.सं. 102/2020

———/———

उपस्थित :– 1– श्री हिमाशु सोलंकी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री धन सिंह झाला राजकीय अभिभाषक

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 12–06–2025</u>

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राज्यावास में आराजी नंबर 1152 / 2, 1162 / 2, 1163 / 1, 1164 / 1 1165 / 1, 1169 / 1 कुल किता 6 रकबा 0.2954 हैक्टर भूमि स्थित है। आराजी नंबर 1176 / 5 बिलानाम होकर उसमें रास्ता मौजूद है, जिस रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी वर्षे से करते चले आ रहे हैं। अतः आराजी नंबर 1176 / 5 में से 25 फिट चौड़ा राजस्व दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

2. अधिनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15–09–2023 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:48 IST
Reason: SelfAttested

रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 18–03–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिमाशु सोलंकी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने पर दिनांक 20–02–2004 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 27–02–2024 को नकल प्राप्त होने पर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में बिजली लाईन गुजरने को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित करने में भूल की है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण रास्ते, सड़क, राज्य मार्ग एवं नेशनल हाईवे के उपर से बिजली की अलग–अलग पॉवर की लाईने निकल रही हैं, इसलिए बिजली की लाईन के नीचे रास्ता नहीं हो सकता, को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह बिना किसी आधार के होने से अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट को विवादित आराजी में से 25 फिट रास्ता दिलाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:48 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि रास्ते के उपर पावर ग्रिड विद्युत लाईन होने से उसमें रास्ता नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी नंबर 1176/6 बिलानाम होकर उसमें से अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा चाहा गया है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त बिलानाम आराजी का उपयोग मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है, किन्तु तहसीलदार ने रास्ते की अनुशंषा नहीं की है। स्वयं अपीलान्ट ने भी अपील मीमों एवं वक्त बहस चाहे गये रास्ते के उपर से बिजली की लाईन जाने का कथन किया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा जा रहा है, उसके उपर से विद्युत लाईन गुजर रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–09–2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 12–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:48 IST
Reason: SelfAttested